देशी शराब फुटकर दुकान/कम्पोजिट दुकान/माडल शप/भांग फुटकर दुकान के लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले शपथ पत्र (वर्ष 2025-26 हेतु)

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी.......................................आयु.........वर्ष निवासी..

शपथपूर्वक अभिकथन करता/करती हूँ कि –

1- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्मी ने देशी शराब फुटकर दुकान/कम्पोजिट दुकान/माडल शाप/भांग फुटकर दुकान............................. थाना.....................तहसील........................जनपद......................... के लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

2- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्नी ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 व लाइसेंस की शर्तो और प्रतिबन्धों को पूरी तरह से समझ लिया है। यदि उपरोक्त दुकान उसे आवंटित हो जाती है तो वह नियमों, लाइसेंस की शर्तो और आबकारी आयुक्त व लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अन्य निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।

3- यह कि शपथकर्ता/शपथकत्री भारत का/की नागरिक है।

4- यह कि शपथकर्ता/शपथकत्री की आयु 21 वर्ष से अधिक है।

5- यह कि शपथकर्ता/शपथकत्री के पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (यथा संशोधित) के उपबंधों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर/चौहद्दी रखता है अथवा किराये पर उक्त स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर सकता है।

6- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्मी द्वारा दुकान के ऐसे परिसर का प्रस्ताव नहीं दिया जायेगा जिसके निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन किया गया हो।

7- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और उन्हें संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिये दोष सिद्ध नहीं किया गया है।

8- यह कि अनुज्ञापी/अनुज्ञापिनी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में उसके द्वारा जिला जहाँ का/की वह निवासी है, के जिला कलेक्टर या संबंधित जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक या संबंधित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अनिम्न अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत किये जाने का दायित्व आवेदक/आवेदिका का होगा, जिसमें उल्लिखित होगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

9- यह कि आवंटन के सम्बन्ध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों पर जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर लिया गया निर्णय स्वीकार होगा।

10- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा/करेगी, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी जैसा बिंदु 7 में उल्लिखित है, या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-7 के अन्तर्गत सेवायोजित व्यक्ति के समस्त तथ्यों की जिम्मेदारी शपथकर्ता/शपथकत्री की होगी।

11- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री न तो सरकारी अथवा लोक देयों का/की बकायेदार है, न ही उसका नाम काली सूची में है और न ही उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत उसे आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया गया है।

12- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री ऋृणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता/रखती है या कारोबार के संचालन के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है जिसका ब्योरा यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को वह उपलब्ध करा देगा/देगी।

13- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री सक्रिय रुप से मफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी यह प्रमाणित हो जाता है कि वह सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

14- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि अनुज्ञापन प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो शपथकर्ता/शपथकर्त्री का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये। राज्य सरकार का कर्मचारी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिए अनर्ह होगा ।

15- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्त्री सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र/अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण पत्र का/की धारक है तथा उसकी हैसियत आवेदित दुकान का अनुज्ञापन धारण करने हेतु पर्याप्त है।

16- यह कि वह पैन कार्ड का की धारक है तथा उसके द्वारा विगत वर्ष की आयकर विवरणी अपलोड की गयी है।

17- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्जी द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाएं उसकी जानकारी में सही एवं सत्य हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। शपथकर्ता/शपथकर्त्री द्वारा लाइसेंस की शर्तो, प्रतिबन्धों एवं संगत व्यवस्थापन नियमावली तथा आबकारी नीति वर्ष 2025-26 को पूरी तरह समझ लिया गया है। यदि शपथकर्ता/शपथकर्त्री का आवेदन/आवंटन/अनुज्ञापन सूचनाओं के अपूर्ण रहने अथवा शर्तो, प्रतिबन्धों एवं संगत नीति एवं नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा शपथकर्ता/शपथकर्त्री इसके लिए कोई दावा नहीं करेगा/करेगी ।

(आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर)